


6.8.19

पश्चावली पेश हुई। वकील उक्त पक्ष उप
नहीं हुए हैं, वक्त अदालत बार-बार आवील
भागवाई गई। इसके पश्चात भी वकील
अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट भी उपस्थित नहीं
हैं। अपीलान्ट / वकील अपीलान्ट के अर्थ
नहीं हैं। अपील अपीलान्ट अदम एजरी
अदम पेशवी में खारिज की जाती है। पश्चावली
दर्ज नम्बर से कम है। बाद तक मील कारिवाल
करता है।


अभिप्रेत (चतुर्थी)